18/7/22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली मे बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम व पटवार मण्डल कसबा नीमकाथाना स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 76 की खातेदारी मे वादी का नाम कालूराम पुत्र सावलराम दर्ज रिकार्ड है जो गलत है जबकि वादी का सही नाम बलबीर पुत्र सांवलराम है, वादी के सभी सरकारी दस्तावेजात मे वादी का नाम बलबीर पुत्र सांवलराम दर्ज है। अतः वादी का सही नाम बलबीर पुत्र सावलराम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम कालूराम पुत्र सांवलराम गलत दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में पैन कार्ड, आधार कार्ड, नाम परिवर्तन हेतु समाचार पत्र मे प्रकाशित सूचना, राशन कार्ड की प्रतियां पेश की जिनमे वादी का सही नाम बलबीर पुत्र सांवलराम है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र व गवाहान के रूप में आची देवी पत्नी शंकर जाति बलाई, हेमराज पुत्र मोहन लाल जाति बलाई, बनवारी लाल पुत्र भूरा जाति बलाई, द्रोपदी देवी पत्नी मोहनलाल जाति बलाई समस्त निवासी वार्ड नं0 3 नीमकाथाना के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कालूराम पुत्र सांवलराम अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही दस्तावेजी नाम बलबीर पुत्र सांवलराम है की पुष्टि पैन कार्ड, आधार कार्ड, नाम परिवर्तन हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना, राशन कार्ड से होती है। वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम कस्बा नीमकाथाना के खाता संख्या 76 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में दर्ज खातेदार कालूराम पुत्र सांवलराम के स्थान पर बलबीर पुत्र सांवलराम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्राावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमक
इजलास बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
तहसीलदार,

बलबीर
.......वादी........

बनाम

दावा बाबत घोषणा, दुरस्ती रिकार्ड एवं स्थाई
मुकदमा नं. 179 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब-
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना। व हाजरी श्री मुर
मिनजानिब मुद्दई प्रतिवादी – मिनजानिब मुद्दाय
। है व दावा वादी ड्रिकी किया जाता है तथा राज
ोल नीमकाथाना के खाता सं. 76 में वर्णित वादग्र
्राम पुत्र सांवलराम के स्थान पर बलबीर पुत्र सांव
अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। शेष इन्
स्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।
..........................×...
मुबलिग....................
1...............×........................
........खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह....
सदी सलाना आज की तारीख से तारीख वसूल
अदा करें।बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदाल
22 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

मुद्दई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक		
मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म प
जरिये दिलाया गया हो या नही

Scanned with OKEN Scanner